Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

## परिवाद सं0 16 / 2025

मैसर्स एस.वी.पी. लाईफ साइन्स
निवासी– सी–10 / 1 सेक्टर–सी
सारा इन्डस्ट्रीयल एरिया,रामपुर सेलाकुई
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 02.12.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि "उपरोक्त संयोजन के बिल की समय अवधि दिनांक 28.02.2025 से दिनांक 31.03.2025 का बिल मूल्य 2,67,223.00 था। जबकि समय अवधि दिनांक 31.03.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक हमारा बिल 5,42,639.00 आया है। आशंका है कि हमारा विद्युत बिल गलत आया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर जांच कराई जाये तथा न्याय दिलाने की कृपा करें।"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail –.cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढवाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 9793, दिनांकित 18/06/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि "उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 का अध्ययन किया गया तथा पाया गया कि उपभोक्ता को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार ही बीजक निर्गत किये गये है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की शिकायत के क्रम मे पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है जो नियमानुसार सही हैं, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दपतर हो

02/12/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 02/12/25
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

## परिवाद सं0 50 / 2025

श्रीमती सुशीला
निवासी– वाइट पेपर डिन इन,
1246 / 3, कौलागढ रोड, अपोजिट
होटल चटनी मैरी, देहरादून

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक:29.12.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय) को संबोधित तथा इस मंच को पृष्ठांकित शिकायती पत्र प्रेषित किया गया। उक्त पत्र का मंच द्वारा संज्ञान लिया गया तथा परिवाद पंजीकृत किया गया। उक्त पत्र में परिवादी द्वारा उल्लेख किया गया है कि *"कि मैंने दिनांक 02 / 08 / 2024 को आपके कार्यालय में निम्नांकित संबंधी दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे:*

1. *प्रथम प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने भवन संख्या 1246 / 3 कौलागढ मार्ग, देहरादून के लिए 40 किलोवाट विद्युत लोड हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 41,229 / – आपके कार्यालय में जमा की गयी थी, जिसकी रसीद*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

**संलग्न–1** है। तदुपरांत, दिनांक 09/10/2024 को उक्त भवन में नया मीटर स्थापित कर दिया गया, जिसका रिफरेन्स/पंजीकरण संख्या 485060824003 है। सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि **संलग्न–2** है।

2. द्वितीय प्रार्थना पत्र में उक्त भवन पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन संख्या 344850706180504000 5 हेतु आपके कार्यालय में जमा जमानत धनराशि की वापसी हेतु प्रार्थना की गई थी। इस संबंध में दिनांक 12/08/2024 को आपके कार्यालय द्वारा कार्यालय स्मारिका (OM) जारी की गई थी, और सभी आवश्यक दस्तावेज दिनांक 02/08/2024 को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां **संलग्न–3** हैं:

- ऑनलाइन व कार्यालय द्वारा जारी रू० 12,000/– शुल्क की रसीद।
- आधार कार्ड।
- कैंसिल्ड चेक संख्या 772478, पंजाब नेशनल बैंक।

3. उक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 09/10/2024 से लेकर आज तक मेरे भवन संख्या 1246/3, कौलागढ मार्ग, देहरादून पर आपकी ओर से कोई भी विद्युत बिल निर्गत नहीं किया गया है, जबकि SDO कार्यालय (बिन्दाल) से मीटर रीडर समय–समय पर मीटर रीडिंग ले रहा है तथा आपके कार्यालय एवं SDO कार्यालय में मीटर की रीडिंग उपलब्ध कराई जा रही है।

4. इसके बावजूद दिनांक 09/10/2024 के पश्चात् जब भी ऑनलाइन पोर्टल अथवा कार्यालय से अपने नवीन मीटर नंबर 485060824003 एवं पूर्व मीटर नंबर 42300591854 तथा उपभोक्ता संख्या 41800747153 से बिल विवरण जाँचा गया, तो "No Account Details Found/ No Outstanding Bill" संदेश प्राप्त हुआ। प्रतिलिपि संलग्न–4 है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*अतः यदि दिनांक 09/10/2024 के पश्चात् आपके विभाग द्वारा मेरे भवन पर कोई विद्युत बिल बकाया होता है, तो मैं एक उपभोक्ता के रूप में अवगत कराना चाहती हूँ कि ऐसे विद्युत बिलों के भुगतान में मुझे अनायास ही वित्तीय एवं मानसिक प्रताडना का सामना करना पडेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपके विभाग की होगी।*

5. *यदि भविष्य में आपके विभाग द्वारा दिनांक 09/10/2024 से आज तक मेरे भवन पर विलम्ब शुल्क सहित कोई विद्युत बिल जारी किया जाता है, तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी उपभोक्ता की नहीं होगी।*
6. *इसके अतिरिक्त, दिनांक 09/10/2024 के पश्चात् मेरे उक्त भवन में 40 किलोवाट विद्युत लोड खर्च नहीं किया जा रहा है, अतः आवश्यक कार्यावाही कर कृपया अवगत कराएँ ताकि मैं अपने भवन के विद्युत लोड में कमी हेतु निवेदन कर सकूँ।*

*अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि द्वितीय प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 02/08/2024 के अनुसार अस्थाई विद्युत कनेक्शन संख्या 344850706180504005 के संबंध में जमा जमानत धनराशि की वापसी हेतु आवश्यक कार्यावाही कर भुगतान सुनिश्चित करने की कृपा करें।"*

**उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 486, दिनांकित 22/09/2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है कि:–**

1. *"उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत संयोजन सं० CD62226550736 का विद्युत भार माह अक्टूबर 2024 में 10 किलोवाट से बढावा 40 किलोवाट किया गया था।*
2. *10 किलोवाट से अधिक के विद्युत संयोजनों को के.सी.सी. में परिवर्तित कर विद्युत संयोजनों का बिल खण्ड कार्यालय द्वारा बनवाया जाता है।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. *तकनीकी समस्या के कारण उपभोक्ता का विद्युत संयोजन के.सी.सी. में परिवर्तित न होने के कारण विद्युत संयोजन का बिल नहीं बन पाया था। उक्त समस्या का निराकरण होने उपरान्त दिनांक 15.09.2025 को उपभोक्ता का विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है।*

**विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 1201, दिनांकित 29.12.2025 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि:–**

1. *"उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत संयोजन सं० CD62226550736 का विद्युत भार माह अक्टूबर 2024 में 10 किलोवाट से बढाकर 40 किलोवाट किया गया था।*
2. *विद्युत भार बढाने पर मीटर बदला गया था, जिसमें विद्युत परिक्षण खण्ड द्वारा त्रुटिवश गलत रीडिंग अंकित कर दि गयी थी। उपर्युक्त त्रुटि को ठीक कर उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है तथा विलम्ब शुल्क अधिभार भी घटा दिया गया है। लेजर रिर्पोट पत्र के साथ संलग्न है।*
3. *वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा रू०. 193543.00 देय है।*

**मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।** प्रस्तुत शिकायती पत्र मे परिवादी की मुख्यतः दो शिकायते है:–

1. अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु जमा जामनत धनराशि वापिस की जाए।
2. दिनांक 09.10.2024 दिनांक 29.08.2025 तक विलम्ब शुल्क रहित विद्युत बिल जारी किये जाए।

परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा निम्नवत् अवगत कराया है कि :–

1. परिवादी को चैक संख्या 356431 के माध्यम से जमानत धनराशि के रूप में रू0 14094.00 बैंक खाते में हस्तानरित कर दिया गये है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. विद्युत परिक्षण खण्ड द्वारा त्रुटिवशं गलत रीडिंग अंकित कर दि गयी थी। उपर्युक्त त्रुटि को ठीक कर उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है तथा विलम्ब शुल्क अधिभार भी घटा दिया गया है। जहा तक विद्युत भार कम किये जाने का सवाल है, मंच का मत है कि परिवादी विपक्षी को आवेदन करे तदनुसार विपक्षी नियामानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत बिल संशोधित संबंधी एवं जमानत धनराशि संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर एंव जमानत धनराशि परिवादी के बैंक खाते में हस्तानरित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायतो का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है एवं जहा तक विद्युत भार कम किये जाने का सवाल है, मंच का मत है कि परिवादी विपक्षी को आवेदन करे तदनुसार विपक्षी नियामानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29/12/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 65 / 2025

श्री राकेश सिंह गुंसाई
निवासी– 1279 इन्द्रनगर,
सीमाद्वार, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 26.12.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा नाम राकेश सिंह गुसांई, 1279 इन्द्रनगर सीमाद्वार का निवासी हुँ आपको सूचित कराना चाहता हुँ कि पिछले तीन महिने से मेरा बिजली का बिल अधिक आ रहा है, मैनें चैक मीटर भी लगवाया था उसमें भी रीडिंग बराबर ही आ रही है लेकिन 01/08/2025 को मेरा चेक मीटर लगा था जिसकी रीडिंग और मीटर भी बराबर आयी लेकिन युनिट 217 ही आया लेकिन 22/05/2025 से 24/06/2025 और 24/06/2025 से 20/07/2025*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*तथा 20/07/2025 से 19/08/2025 इसमें रीडिंग इतनी ज्यादा आयी इसके कारण मेरा बिल अत्यधिक आया हुआ है कृप्या इसका समाधान करने कि कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 936, दिनांकित 16/10/2025 से मंच को अवगत कराया है कि "*उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर लगा कर उसे फाइनल कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई०सी०रोड, देहरादून को कहा गया है, जिनसे उत्तर प्राप्त होने पर मा० मंच को अवगत कराया जायेगा।"*

*विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 965, दिनांकित 30.10.2025 से मंच को अवगत कराया है कि "उपभोक्ता के संयोजन पर दिनांक 06.08.2025 को सहायक अभियन्ता–मीटर, परीक्षणशाला दक्षिण, 18 ई०सी० रोड, देहरादून द्वारा चैक मीटर लगाया गया था एवं दिनांक 04.09.2025 को चैक मीटर फाइनल किया गया, जिसमें उपभोक्ता के मीटर में 217 यूनिट खपत दर्ज की गई एवं चैक मीटर में भी 217 यूनिट खपत दर्ज की गई इस प्रकार उपभोक्ता का मीटर तेज चलना नहीं पाया गया। वर्तमान में चैक मीटर दिनांक 28.10.2025 को लगाया गया है परन्तु उपभोक्त के परिसर में ताला लगा होने से बिजली खपत नहीं होने से चैक मीटर का परिणाम का पता नहीं चल पायेगा।"*

मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 04.12.2025 को विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक संख्या 71860749 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट लोड सर्वे सहित प्रस्तुत करें।

विपक्षी द्वारा उक्त के क्रम में अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1094 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला, 18 ई0सी0 रोड, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.M.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
(गढ़वाल ए
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

313/नं०वि०परि०शा० (द०)/दे०दून दि० 06.12.2025 से अवगत कराया गया है कि *"मापक सं० 71860749 की विभिन्न एम०आर०आई० मशीन द्वारा एंव लैपटॉप द्वारा भी एम०आर०आई० हेतु प्रयास किया गया किन्तु मापक के respond नहीं करने के कारण एम०आर०आई० नहीं हो पाई।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 23/05/2025 से 18/09/2025 अर्थात् 119 दिनों मे चार विद्युत बिल कुल 9875 यूनिट के प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद।

विपक्षी द्वारा चार बिल चक्रों (23/05/2025 से 18/09/2025 तक) मे दर्शायी गयी 9875 यूनिट (27431–17556) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 2 KW स्वीकृत विद्युत भार तथा पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 83 (9875/119) यूनिट की विद्युत खपत संभव नही है। विपक्षी विवादित मापक संख्या 71860749 की एम०आर०आई० प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। मंच ने उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 30.10.2025 की आख्या का संज्ञान लिया जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि चैक मीटर की लगने की तिथि दिनांक 06.08.2025 से चैक मीटर फाईनल करने की तिथि दिनांक 04.09.2025 अर्थात् 30 दिनों में परिवादी द्वारा मात्र 217 यूनिट ही उपभोग किया जिसकी औसत खपत मात्र 7.23 यूनिट प्रतिदिन ही आती है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 71860749 को तकनीकि रूप से सही नहीं माना जा सकता है, ऐसी दशा परिवादी को दिनांक 23/05/2025 से दिनांक 18/09/2025 तक प्रेषित चार विद्युत बीजक क्रमशः 06/2025, 07/2025, 08/2025 एवं 09/2025 को निरस्त कर उक्त

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

विद्युत बीजकों को पूर्व तीन बिल चक्रों (05/2025, 04/2025 एवं 03/2025) की औसत खपत 174 यूनिट क्रमशः (249+179+94/3) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 23/05/2025 से दिनांक 18/09/2025 तक प्रेषित चार विद्युत बीजक क्रमशः 06/2025, 07/2025, 08/2025 एवं 09/2025 को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व तीन बिल चक्रों (05/2025, 04/2025 एवं 03/2025) की औसत खपत 174 यूनिट क्रमशः (249+179+94/3) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 71860749 को अविलंब परिवर्तित कराना सुनिश्चित करें ताकी भविष्य में उक्त मापक की तकनीकि खराबी के कारण पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सकें। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

26/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 26/12/
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

313 / नं0वि0परि0शा0 (द0) / दे0दून दि0 06.12.2025 से अवगत कराया गया है कि *"मापक सं0 71860749 के विभिन्न एम0आर0आई0 मशीन द्वारा एंव लैपटॉप द्वारा भी एम0आर0आई0 हेतु प्रयास किया गया किन्तु मापक के respond नहीं करने के कारण एम0आर0आई0 नहीं हो पाई।"*

**मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।** पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 23 / 05 / 2025 से 18 / 09 / 2025 अर्थात् 119 दिनों मे चार विद्युत बिल कुल 9875 यूनिट के प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद।

विपक्षी द्वारा चार बिल चक्रों (23 / 05 / 2025 से 18 / 09 / 2025 तक) में दर्शायी गयी 9875 यूनिट (27431–17556) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 2 KW स्वीकृत विद्युत भार तथा पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 83 (9875 / 119) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। विपक्षी विवादित मापक संख्या 71860749 की एम0आर0आई0 प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। मंच ने उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 30.10.2025 की आख्या का संज्ञान लिया जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि चैक मीटर की लगने की तिथि दिनांक 06.08.2025 से चैक मीटर फाईनल करने की तिथि दिनांक 04.09.2025 अर्थात् 30 दिनों में परिवादी द्वारा मात्र 217 यूनिट ही उपभोग किया जिसकी औसत खपत मात्र 7.23 यूनिट प्रतिदिन ही आती है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 71860749 को तकनीकि रूप से सही नहीं माना जा सकता है, ऐसी दशा परिवादी को दिनांक 23 / 05 / 2025 से दिनांक 18 / 09 / 2025 तक प्रेषित चार विद्युत बीजक क्रमशः 06 / 2025, 07 / 2025, 08 / 2025 एवं 09 / 2025 को निरस्त कर उक्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

## परिवाद सं0 67 / 2025

श्री देवेन्द्र कुमार (सचिव),
निवासी– दून वैली ऑफिसर कोऑपरेटिव
हाउसिंग सोसाइटी, पार्क नं0 10, वसन्त विहार
फेस–2, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 22.12.2025
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल अत्याधिक आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

1. *"महोदय दून वैली ऑफिसर्स कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (DVOCHSL), बसन्त विहार क्षेत्र में आपके विभाग द्वारा समिति के पार्क नं0 10 मे दिनांक 27.04.2025 को 01 कि0वा0 के नये बिजली*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

कनेक्शन को स्थापित किया गया था। महोदय 65 दिन पश्चात् उपरोक्त कनेक्शन का रू0 19,300/– का बिल विभाग द्वारा समिति को दिया गया।

2. महोदय उपरोक्त बिजली का बिल अत्याधिक होने के कारण समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी विद्युत उपसंस्थान, वंसत विहार, देहरादून में शिकायत की गई।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त बिल में कोई त्रुटि होने के कारण इतना अधिक बिल आया है। समिति के चार अन्य पार्कों में भी बिजली विभाग द्वारा 01कि0वा0 का बिजली का कनेक्शन स्थापित किया गया है जिनका प्रतिमाह रू0 1500/– प्रति मीटर बिल आता है जिसका समिति द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता है।

4. वर्तमान समय में उपरोक्त बिल का भुगतान लंबित है। इस विषय में शिकायत समिति द्वारा पूर्व में भी बिजली विभाग को कर दी गई थी जिसका अभी तक निवारण नहीं हो पाया है।

5. अतः निवेदन है कि उपरोक्त बिल की राशि संशोधित कर इस समस्या का निवारण शीघ्र करने का कष्ट करे।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 964, दिनांकित 30/10/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि "उपभोक्ता के संयोजन संख्या SD56342718636 पर स्थापित मीटर संख्या 362893 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड़, देहरादन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, सुलभ संदर्भ हेतु एम0आर0आई0 रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जा रही है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

एम0आर0आई0 रिपोर्ट में उपलब्ध दिनांक 06.06.2025 से दिनांक 27.07.2025 तक मीटर में औसतन लगभग 40 के0डब्लू0एच0 प्रतिदिन की खपत दर्ज की गई है। मीटर में प्रतिदिन की खपत के दृष्टिगत मीटर रीडिंग जम्प नहीं हुआ है।"

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1077, दिनांकित 04/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि "मंच द्वारा पिछली सुनवाई में उपभोक्ता के उपकरणों का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने हेतु कहा गया था, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वसन्त विहार पार्क 10 में लगी स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण अवर अभियन्ता, लाईन स्टाफ, बसंत विहार सोसाइटी के गार्ड की उपस्थिति में किया गया। पार्क का गेट बन्द था अतः गार्ड को बुलवाकर ताला खुलवाया गया, जिसमें पाया गया कि स्ट्रीट लाईट पोल पर फिक्स किये गये लोहे धातु के कनैक्शन बाक्स बहुत छोटे हैं जिसमें नीचे से केबिल आने हेतु होल है। बॉक्स में जंग लगा हुआ है, जिन बॉक्स के ढक्कन खुल पाये उनके अन्दर की फोटो संलग्न की जा रही है। संलग्न फोटो से स्पष्ट है कि कनैक्शन का कार्य अच्छी गुणवत्ता का नहीं है बाक्स के अन्दर केबिल जोड़ की टेप खुली हुई है, अन्दर कीडे मकोड़ों ने अपना घर बनाया हुआ है, एक बाक्स में तो क्रीपर जो अब सूख गई है पाई गई। बरसात में नमी होने एवं क्रीपर, कीड़े मकोड़ों के घरों से लीकेज की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। पार्क की दीवार पर लगे एम0सी0बी0 बाक्स के सामने पोल के कनैक्शन बाक्स में टेप उखडी हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि दोबारा टेप हटा के लगाई गई है। पूरे पार्क के चारों ओर मिट्टी में केबिल दबाई गई है जो पोल के पास नीचे से बॉक्स में जा रही है। यह भी बताया गया है कि पार्क में वैल्डिंग का कार्य भी हुआ है। एम0आर0आई रिपोर्ट में उपलब्ध दिनांक 06.06.2025 से दिनांक 27.07.2025 तक मीटर में औसतन प्रतिदिन लगभग 40 के0डब्लू0एच0 की खपत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

*दर्ज की गई है। उपरोक्त निरीक्षण आख्या एवं मीटर में प्रतिदिन की खपत के दृष्टिगत मीटर रीडिंग जम्प नहीं हुआ है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये हैं, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

22-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

22/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/12
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

## परिवाद सं0 70 / 2025

श्रीमती रश्मि खत्री पत्नी श्री अमित खत्री
निवासी– शक्तिपुरम लेन–4, नहरवाली रोड़,
तुनवाला, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 26.12.2025

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा (रश्मि खत्री) विद्युत बिल (कनेक्शन संख्या 9721235665190 खाता संख्या 41900186604) विगत जुलाई माह से लगातार बढ़ कर आ रहा है। अतः इसे संशोधित करने की कृपा करें। यह भी अवगत कराना है कि मैंने चैक मीटर के लिए आवेदन किया है और उसका भुगतान भी कर दिया है लेकिन अभी तक चैक मीटर नहीं लग पाया है।"*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1502, दिनांकित 28 / 10 / 2025 *से मंच को अवगत कराया गया है "कि मंच के निर्देशानुसार एवं उपभोक्ता के अनुरोध पर दिनांक 18.10.2025 को चैक मीटर*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*स्थापित किया गया था एवं दिनांक 28.10.2025 को चैक मीटर Finalise किया गया। उपभोक्ता के पुराने मीटर एवं चैक मीटर में अन्तर नही पाया आया। अतः विद्युत बिल मे संशोधन सम्भव नहीं है। "*

**मंच द्वारा उभय पक्षों को सुनवा गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया।** पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 26.08.2025 से 29.09.2025(बिल चक्र 09/2025) अर्थात् 35 दिनों में 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 950 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है जो कि 27.14 यूनिट प्रतिदिन विद्युत खपत होती है। उक्त विवादित बिल चक्र में प्रेषित बिल से परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उनकी इतती अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न ही उक्त बिल चक्र के बाद।

विपक्षी द्वारा मंच में उक्त खपत को तकनीकि रूप से साबित करने हेतु एम0आर0आई0 प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु विपक्षी उक्त विवादित खपत का कोई भी तकनीकि प्रमाण तथा एम0आर0आई0 आदि प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। बिना तकनीकि प्रमाण के दर्शायी गई खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में परिवादी को बिल चक्र 09/2025 (दिनांक 29.09.2025) में प्रेषित बीजक को निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व के तीन बिल चक्रों की औसत खपत 276 (413+309+106 /3) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्र 09/2025 (दिनांक 29.09.2025) में प्रेषित बीजक को निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व के तीन बिल चक्रों की औसत खपत 276 (413+309+106 /3) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई सरचार्ज देय नहीं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुन इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

26/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26/12/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

## परिवाद सं0 71 / 2025

**श्रीमती अंजना बिजल्वाण**
निवासी– 48–प्रीतम रोड,
डालनवाला, देहरादून।

परिवादी

बनाम

**अधिशासी अभियन्ता**
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांकः 31.12.2025

**श्री रजनीश माथुर** — तकनीकी सदस्य
**श्री दीपक फरस्वाण** — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा विद्युत उपयोग का मासिक बिल लगभग रू 1400/– या 1500/– पिछले पाँच सालों से आता है। जो कि मेरे द्वारा समय से भुगतान किया जाता है। किन्तु अचानक मार्च आखिरी मे लगभग रू 8500/– आया जिसका मेरे द्वारा आपके तेग बहादुर रोड पर समस्त दस्तावेज के साथ सम्पर्क करने पर चैक मीटर हेतु परामर्श दिया गया एवं मीटर के बाद मीटर ठीक है। एवं भुगतान हेतु कहा गया जिसका मेरे द्वारा भुगतान रू 10923/– दिनांक 30/06/2025 को किया गया। इसके उपरान्त दो बिल रू 1217/– जुलाई एवं रू 1485/– अगस्त मे आये एवं मेरे द्वारा समय पर भुगतान किये गये। दिनांक 13/10/2025 को फिर से रू 9020/– का विद्युत बिल दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। कई बार निवेदन करने पर भी विभाग द्वारा न MRI कराई गयी न मीटर बदला गया केवल मेरा मानसिक प्रताड़ना किया गया। आपसे अनुरोध है, कि कृपा मेरे मीटर को तुरन्त*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

*बदला जाये एवं विद्युत बिल को भी संशोधित किया जाये। ताकि मै इसका भुगतान कर सँकू। आपसे यह भी निवेदन है कि जब तक मेरे बिल को ठीक नहीं किया जाता मै भुगतान करने में असमर्थ हूँ। इसके लिये विद्युत विभाग (S.D.O.Teg Bhadur Road, Dehradun) को विद्युत संयोजन को न काटने हेतु निदर्शित किया जाये, ताकि बिल ठीक होने पर मैं भुगतान कर सकूँ।"*

**उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4209, दिनांकित 10.12.2025 से मंच को अवगत कराया है** *"कि उक्त परिवाद संख्या 71/2025 के शिकायतकर्ता श्रीमती अंजना बिजल्वाण के द्वारा जिसका संयोजन संख्या CD27171333969 का विद्युत बिल संशोधन के सन्दर्भ में वाद दर्ज कराया गया है, वादी के विद्युत संयोजन पर दिनांक 28.05.2025 को चैक मीटर लगाया गया, चैक मीटर में अन्तर न आने पर उक्त मीटर को स्थापित रहने दिया गया था, तत्पश्चात् अक्टूबर माह में उपभोक्ता की शिकायत पर सहायक अभियन्ता मीटर्स द्वारा । कि 25.10.2025 को मीटर संख्या 81607522 को बदलकर नया मीटर संख्या GU500596 लगा दिया गया है एवं दिनांक 10.12.2025 को नये मीटर के आधार पर बिल निर्गत कर दिया गया है एवं माह 10/2025 का बिल भी औसत के आधार पर आई0डी0एफ0 में संशोधित कर दिया गया है।"*

**मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया।** पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 21.05.2025 एवं दिनांक 13.10.2025 को क्रमशः 1209 यूनिट CDF का एवं 1237 यूनिट के बिल प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी की आख्या पत्रांक संख्या 4209 दिनांकित 10.12.2025 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित विद्युत बिल दिनांक 13.10.2025 को आई0डी0एफ0 मानक संशोधित कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 21.05.2025 में प्रेषित विद्युत बिल भी CDF के आधार पर प्रेषित किया गया था जो कि दर्शाता है कि सम्भवतः स्थापित मीटर 05/2025 के बिल चक्र से ही डिफेक्टिव हो गया था। उक्त के क्रम में मंच का मत है विपक्षी द्वारा परिवाद

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

को उक्त CDF बिल निर्गत किये जाने की तिथि 21.05.2025 से मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 25.10.2025 (पॉच बिल चक्रों) तक परिवादी को प्रेषित सभी विद्युत बिलों को निरस्त करें एवं उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की तीन बिल चक्रों (04/2025, 03/2025 एवं 02/2025) की औसत खपत (68+412+206/3 = 228.66 यूनिट) अर्थात् 229 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 29.04.2025 से मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 25.10.2025 तक(पॉच बिल चक्रों) में प्रेषित विद्युत बिलो को निरस्त करें एवं उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (04/2025, 03/2025 एवं 02/2025) की औसत खपत (68+412+206/3 = 228.66 यूनिट) अर्थात् 229 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/12/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 31/12
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 74 / 2025

श्रीमती बीना कैन्तुरा पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह कैन्तुरा
निवासी– भगवानपुर, भाऊवाला,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 23.12.2025
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने तथा उपभोक्ता का नाम स्थानान्तरण के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मैं बीना कैनतुरा, भगवानपुर, भाऊवाला, देहरादून पर निवास करती हूँ। मेरे पति श्री लक्ष्मण सिंह कैन्तुरा जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। हमारे निवास पर स्थापित बिजली कनेक्शन उन्हीं के नाम पर है। अतः मै आपसे निवेदन करती हूँ कि उक्त बिजली कनेक्शन को मेरे नाम पर स्थानांतरित करने की कृपा करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं संबंधित कागजात संलग्न किये जा रहे है साथ ही मै आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहती हूँ कि सितम्बर माह का बिजली का बिल अत्याधिक आया है जो लगभग रू0 9000 है, यह हमारे सामान्य बिल (रू0 700–रू0 800) की तुलना में बहुत अधिक है। मुझे संदेह है कि इसमें कोई*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*त्रुटि हो सकती है। मैने इस संदर्भ में अपने नजदीकी बिजली कार्यालय (सेलाकुई) में दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को शिकायत दर्ज करवायी थी और साथ ही साथ मैंने ऑनलाईन शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसका भुगतान दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को रू0 100 आया था, परन्तु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और न ही कोई अधिकारी या कर्मचारी जांच हेतु मेरे निवास पर आये है। अतः आपसे अनुरोध है कि बिजली कनेक्शन मेरे नाम पर स्थानांतरित करने की कृपा करें। सितम्बर माह के अत्याधिक बिल की जांच करवाकर आवश्यक संशोधन करें।"*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1323, दिनांकित 28/10/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"श्रीमती बीना कैन्तुरा पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह कैन्तुरा, निवासी– भगवानपुर, भाऊवाला देहरादून के विद्युत संयोजन संख्या MP1151307120 1 (श्री लक्ष्मण सिंह) के विद्युत बीजक को वर्तमान मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है जो रू0 1609.00 का बना है, तथा वादी श्रीमती बीना कैन्तुरा पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह कैन्तुरा के द्वारा उपभोक्ता का नाम स्थानान्तरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में उक्त वादी श्रीमती बीना कैन्तुरा पतनी स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह कैनतुरा को इस कार्यालय के माध्यम से दूरभाष द्वारा भी अवगत करा दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत नाम परिवर्तित कराये जाने एंव विद्युत बिल संशोधित ये जाने के संबंध में है। परिवादी की शिकायतों के निस्तारण के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है "कि श्रीमती बीना कैन्तुरा पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह कैन्तुरा, निवासी– भगवानपुर, भाऊवाला देहरादून के विद्युत बीजक को वर्तमान मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है जो रू0 1609.00 का बना है, तथा

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

श्रीमती बीना कैन्तुरा के द्वारा नाम स्थानान्तरण हेतु कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है, इस सम्बन्ध में श्रीमती बीना कैन्तुरा को कार्यालय के माध्यम से दूरभाष द्वारा भी अवगत करा दिया गया है।

परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि दिनांक 24.10.2025 ई–मेल के माध्यम से व्यक्त की गई है, जो पत्रावली में शामिल है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का समाधान विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया है एवं नाम स्थानान्तरण के संबंध में अवगत कराया गया है कि *"वादी श्रीमती बीना कैन्तुरा पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह कैन्तुरा के द्वारा उपभोक्ता का नाम स्थानान्तरण हेतु इस कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है, इस सम्बन्ध में उक्त वादी श्रीमती बीना कैन्तुरा पतनी स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह कैनतुरा को इस कार्यालय के माध्यम से दूरभाष द्वारा भी अवगत करा दिया गया है"* ।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि दिनांक 24.10.2025 ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है एवं परिवादी को आदेशित किया जाता है कि नाम स्थानान्तरण हेतु माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों अनुसार आवेदन करे।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

उपरोक्त परिस्थियों उपरान्त उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

23/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

## परिवाद सं0 76 / 2025

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मीर चन्द यादव
निवासी– इंदिरा गांधी मार्ग निरंजनपुर,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 20.12.2025
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मै प्रार्थीनी सावित्री देवी पत्नी श्री मीर चन्द यादव निवासनी इन्दिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून की हूँ और अति निर्धन हूँ। मेरे पति कोई व्यवसाय नहीं करते जो कि वृद्ध हैं, और लम्बे समय से पीड़ित हैं। हमारे निवास स्थान पर प्रार्थीनी के नाम पर विद्युत संयोजन है, जिसके बिल का भुगतान कनेक्शन की तिथि से आज तक भुगतान करते चले आ रहे हैं, जिसकी रसीदें सुरक्षित हैं (छायाप्रति संलग्न है) मेरे पति शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से कमजोर है तथा आय का भी कोई साधन नहीं है। आपके विभाग से वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होने से ज्ञात हुआ है कि बिना बिल भेजे एवं बिना रीडिंग लिए बिल भेजा गया है जबकि हमारी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और आपके विभाग का सम्मान करते हुए वास्तविक दरों पर कम कराने के कारणवश अपने बिजली के*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*बिल का वास्तविक भुगतान करना चाहते है। अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि बिल को शुद्धि करते हुए कम करने के आदेश करने की कृपा करे।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2270 दिनांकित 30/10/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"श्रीमती सावित्री देवी जिनका संयोजन संख्या SD15347/106571 का निर्गत बीजक दिनांक 23.12.2024 तक रू0 25561.00 था, जिसमें उपभोक्ता द्वारा दिनांक 23.01.2025 को आंशिक बिल भुगतान 15000.00 जमा करवाया गया, जिससे बीजक बकाया रू0 10561.00 रह गया, जो कि मीटर रीडिंग बीजक लेखित जनवरी माह से वर्तमान 18.10.2025 तक बढकर कुल बीजक भुगतान रू0 34388.00 शेष है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद कंज्यूमर हिस्ट्री एवं चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को मीटर रीडिग के अनुसार वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल जारी किये जा रहे हैं, जो कि नियमानुसार सही है। अतः इन परिस्थितियों में उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

20/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

20/12/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 77 / 2025

श्रीमती मानसी सिसोदिया पुत्री श्री टी०एस०सिसोदिया
निवासी–मकान नं० 38 फेस–1,
प्रकाश लोक शिमला बाई–पास,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 30.12.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Jumping of Meter Reading.

The complainant submits and prays as under:-

*"With reference to the above subject, it is respectfully brought to your kind notice that my normal electricity consumption pattern is around 140-150 units per month. Further more I have to clarify that since October 2024 to June 2025, my normal consumption of electricity varied from minimum 66 unit to maximum 148 unit per month, as it is quite evident from my previous bills. But in the month of July 2025 it is showing abruptly 15490-13085= 2405 units having consumed, which is very-very high. There are only two senior citizens living in our*

*house. I complained the same to SDO concerned Tuner Road (Copy attached) and got installed check meter. But check meter could not detect the jumping of meter readings. Therefore concerned SDO prayer could not help me. Hence, I humbly request you that my case may be taken up and I may please be billed for July 2025 on my previous yearly/half yearly consumption pattern."*

**उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 765, दिनांकित 01/12/2025 से मंच को अवगत कराया है** *"कि उपभोक्ता को वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल प्रषित किया गया है।"*

**विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 797, दिनांकित 08.12.2025 से मंच को अवगत कराया है** *"कि उपभोक्ता द्वारा अधिक बिल आने की शिकायत की गई है। उपभोक्ता का मीटर एलएण्ड०टी० का होने के कारण मीटर की एम०आर०आई० होना सम्भव नहीं है। उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया था। चैक मीटर की आख्या के अनुसार दोनों मीटरों की रीडिंग में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। साथ ही दिनांक–06.12.2025 को मीटर की रीडिंग चैक कराई गई है, जो कि 16150 KWH पायी गई है, जो कि उचित प्रतीत होती है।"*

**मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया।** पत्रावली पर उपलब्ध निर्गत विद्युत बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 22.06.2025 से 22.07.2025 अर्थात् 30 दिनों में 3 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 2405 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। मंच द्वारा विपक्षी को उक्त खपत को तकनीकि रूप से साबित करने हेतु एम0आर0आई0 प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु विपक्षी उक्त विवादित खपत का कोई भी तकनीकि प्रमाण तथा एम0आर0आई0 आदि प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है परिवादी के विवादित मापक में किसी प्रकार की अस्थायी तकनीकि खराबी उत्पन्न हुई होगी जिस कारण विद्युत मापक द्वारा विवादित बिल चक्र में वास्तविक विद्युत खपत से अधिक के

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपभोग को दर्शाया गया है। अतः बिना किसी ठोस तकनीकि प्रमाण के दर्शायी गई विवादित खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिये जाते रहें है, जिनका परिवादी द्वारा नियमित रूप से ससमय भुगतान भी किया जाता रहा। उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को प्रेषित विद्युत बीजक दिनांकित 22.07.2025 को निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 124 (131+93+148 /3) यूनिट के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित विद्युत बीजक दिनांकित 22.07.2025 को निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 124 (131+93+148 /3) यूनिट के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/12/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/12/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

## परिवाद सं0 78 / 2025

श्री हिमांशु त्यागी पुत्र श्री शील कुमार त्यागी
निवासी– कृष्णा विला, लेन नं0 7, चमन विहार
फेस 2, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण
श्री रजनीश माथुर

दिनांक: 09.12..2025
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
तकनीकी सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल आई.डी.एफ. के आधार पर प्रसारित किये जाने तथा खराब विद्युत मापक बदले न जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन संख्या SD25372929633 है। विभाग द्वारा लगातार आई0डी0एफ0 श्रेणी के विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं। शिकायत के बावजूद विद्युत मीटर नहीं बदला जा रहा है। अतः*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

*निवदेन है कि विद्युत नियामक आयोग की नियमावली के आधार पर प्रार्थी के विद्युत बिल संशोधित एवं खराब मीटर को बदलवाने की कृपा कीजिएगा।"*

उपरोक्त के सन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2286, दिनांकित 06/11/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"श्री हिमांशु त्यागी संयोजन संख्या SD25372/929633 का आई.डी.एफ. मीटर मापक स्कंध द्वारा दिनांक 04.11.2025 को बदल दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 11.07.2025 से 20.11.2025 अर्थात् 05 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 05 बिल चक्रो में औसत (आई0डी0एफ0) के आधार पर बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय् **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुये मीटरों की बिलिंग में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

**5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter''** उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति मे परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 11.07.2025 से दिनांक 20.11.2025 अर्थात् 05 विद्युत बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलो में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ प्रथम दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा अगले दो निर्गत बिल क्रमशः 27.09.2025 एवं 24.10.2025 को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्सड चार्ज लिया जाए। दिनांक 20.11.2025 को निर्गत बिल (आई0डी0एफ0 के आधार पर बनाये गये बिल को छोड़कर) केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 11.07.2025 से 20.11.2025 अर्थात् 5 विद्युत बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

के अनुसार शुरूआत के सिर्फ प्रथम दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें अगले दो निर्गत बिल क्रमशः 27.09.2025 एवं 24.10.2025 को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्सड चार्ज लिया जाए। दिनांक 20.11.2025 को निर्गत बिल (आई0डी0एफ0 के आधार पर बनाये गये बिल को छौड़कर) केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित करें इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

09/12/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/12
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 79 / 2025

श्रीमती कुसुम थापा पत्नी श्री हेम सिंह थापा
निवासी– गोविंद विहार आंबेडकर मार्ग,
नियर प्राइमरी स्कूल निकट,
स्वेत धारा डेरी, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 04.12.2025

श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding bill discrepancy.

The complainant submits and prays as under:-

*"My name is Ridhi Thapa, I am writing this email with utter disappointment on behalf of my mother Mrs Kusum Thapa. We have been facing a bill discrepancy issue on her electricity account, with the account no. 40231404521 and connection no. SD16173156941 and the office is in Vasant Vihar. Few months ago, we received the electricity bill but when we tried to pay it online, we noticed that the online amount displayed was lesser than we received on the paper bill, I tried to contact 1912 to discuss why there is a discrepancy but they had no answer, i*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

*tried to call Mr. Sachin who sits in the Vasant Vihar branch , he initially asked me to whatsapp him the bill and said that he would get back to me but he never did, i tried to call him multiple times but he stopped picking my call, I would like to mention in here that I am not local to Dehradun, i stay in Delhi and i had to come back to dehradun and go to the UPCL office Vasant Vihar Branch, since Mr. Sachin did not help me. When i reached there and talk to him, he told me there are some ASD charges which we were supposed to pay we are ok with it but the issue was why the online bill amount and paper bill amount are different, he had no answer but he did something and suddenly the online bill amount became the same as it was on the paper bill. He gave me the assurance that it would never happen but after few months again, when i received the bill this month, it shows the same issue, the online amount displayed for the electricity bill is lesser that the paper bill amount, i contacted Mr.Sachin , he asked me to do the same thing to whatsapp him the bill and again stop responding to my call. I somehow got the no. of the SDO Mr . Vinay Kumar, spoke with him on Saturday on this no. 9412075924, told him about my issue, he said he would take care of it but he did not, i called him today as well reminded him that today is the last day for bill payment kindly correct the bill but he said* ***"hum kar rahe hai ho jayega"*** *the same thing he said on Saturday. I am very much frustrated with all this back and forth as i mentioned i am not in dehradun and my mother is not well and she can't visit the UPCL office for all those minute issues which can be taken care over the phone by the office staff but unfortunately the staff and even the seniors are not responsible enough to take care and resolve the issues when the issue is not from our side but from the UPCL staaf side. Whenever i go to the UPCL office Vasant Vihar branch I don't see the senior manager sitting in the cabin, I don't know whom to complain to. The staff is really unhelpful, unprofessional, I really wanted to tweet about the UPCL careless behaviour and i will if i don't get the resolution There are so many people who are looking for a Govt job who are actually deserving but those who have are exploiting the*

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*leverages of being a Gov. employee. This has to be stopped and they need to take care of the complaints more seriously and have to come out of this " **kar rahe hue,** hojayega" attitude. I spend so much of my time in writing this email and telling you my issue. I hope you will take few seconds and read the complete email and end this issue once and for all. I am attaching the screen shot of bill i received and the bill amount i see online. Also, please check our record, we always pay the bill before time and there was no balance amount ever from our end. Since, its the last date to pay the bill,. i will pay whatever amount is showing online but kindly take serious action and correct the discrepancy of online and offline bill."*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 996, दिनांकित 06/11/2025 से मंच को अवगत कराया है कि *"उपभोक्ता के सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर MU में बने हैं एवं सभी बिल सही हैं। स्पॉट बिलिंग मशीन द्वारा बिलिंग किये जाने पर 31 तारीख का बिलिंग डाटा स्पॉट बिलिंग मशीन में डाउनलोड करके तैयार किया जाता है, यदि उपभोक्ता पिछले माह के बिल का उसी माह में भुगतान नहीं करके अगले माह में करता है तो उस स्थिति बिलिंग मशीन में भुगतान का डाटा अपडेट नहीं होने से वह पिछले बिल की धनराशि भी जुड जाती है। ऑनलाईन सिस्टम में उपभोक्ता द्वारा भुगतान करते ही उसी समय अपडेट होने से उपभोक्ता को ऑनलाईन बिल कम दिखाई देता है, क्योंकि भुगतान की गई धनराशि तुरन्त समायोजित होती है। बिल धनराशि सही प्रदर्शित हो इसके लिये सभी मीटर रीडरों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे तीन–तीन दिन पर कार्यालय आकर अपना बिलिंग डेटा अपलोड करायें तथा, फिर से डाटा डाउनलोड करायें जिससे बिल धनराशि एक की प्रदर्शित हो।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत है कि पेपर बिल में धनराशि अधिक है एवं ऑनलाईन बिल

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

में धनराशि कम है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में अवगत कराया गया कि स्पॉट बिलिंग मशीन द्वारा बिलिंग किये जाने पर 31 तारीख का बिलिंग डाटा स्पॉट बिलिंग मशीन में डाउनलोड करके तैयार किया जाता है, यदि उपभोक्ता पिछले माह के बिल का उसी माह में भुगतान नहीं करके अगले माह में करता है तो उस स्थिति बिलिंग मशीन में भुगतान का डाटा अपडेट नहीं होने से वह पिछले बिल की धनराशि भी जुड जाती है। ऑनलाईन सिस्टम में उपभोक्ता द्वारा भुगतान करते ही उसी समय अपडेट होने से उपभोक्ता को ऑनलाईन बिल कम दिखाई देता है, क्योंकि भुगतान की गई धनराशि तुरन्त समायोजित होती है। परिवादी द्वारा मंच को यह भी अवगत कराया कि बिल धनराशि सही प्रदर्शित हो इसके लिये सभी मीटर रीडरों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे तीन–तीन दिन पर कार्यालय आकर अपना बिलिंग डेटा अपलोड करायें जिससे स्पॉट बिलिंग बिल एवं ऑनलाइन बिल की धनराशि में कोई अन्तर न हो।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा द्वारा परिवादी की शिकायत का स्थाई समाधान हेतु अपने अधिनस्थों को निर्देशित किया गया है। इस परिस्थित में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरांत उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का द व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

04-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

04/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

04/12
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

## परिवाद सं0 80/2025

श्री पवन कुमार पुत्र श्री फग्गू राम
निवासी–विकासनगर रोड,
हरबर्टपुर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 22.12.2025
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी ने आपके विभाग से एक विद्युत संयोजन लिया हुआ है जिसका नम्बर VN13211452132 है। महोदय जी दिनांक 19.05.2025 को नया विद्युत मीटर लगा था तथा जब विद्युत बिल आया तो वह मु0 52000/– रूपये का था। जबकि प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी के घर पर मात्र दो बल्ब, फ्रिज, दो सिलिंग फेन लगा हुआ है। जबकि प्रार्थी के पिछले बिल मात्र 1500/– रूपये के आस–पास आता था। प्रार्थी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अतः महोदय जी से विन्रम निवेदन है कि आप प्रार्थी के विद्युत बिल को सही करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 6101, दिनांकित 03/11/2025 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V,C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW में 12 मार्च 2013 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं० VN13211452132 है।*
2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 19.05.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, जिस पर पुराने मीटर की रीडिंग 17655 ( 5514 यूनिट ) पायी गयी।*
3. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 6582, दिनांकित 29.11.2025 से मंच को अवगत कराया है कि *"मा० फोरम के समक्ष दर्ज शिकायत सं० 80/2025 श्री पवन कुमार पुत्र श्री फग्गू राम, निवासी– विकासनगर रोड, हरबर्टपुर देहरादून की MRI रिपोर्ट मा० मंच के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 11.03.2025 से 19.05.2025(मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 70 दिनों की अवधि में एकाएक व 5514 यूनिट चार्ज किये तथा बिल चक्र 06/2025 में कुल 5616 (5514 यूनिट पुराने मीटर + 102 नये मीटर) यूनिट का विद्युत बिल प्रेषित किया गया। जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा विपक्षी सहायक अभियन्ता (राजस्व) की आख्या पत्रांक संख्या 6582 दिनांक 29.11.2025 के द्वारा प्रस्तुत एम0आर0आई0 का अध्ययन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग भरे जाने के कारण परिवादी को उनकी वास्तविक खपत से कम पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम में विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माह जून 2025 मे 5616 ( 5514 यूनिट पुराने मीटर + 102 यूनिट नये मीटर ) यूनिट का रू0 40930.00 धनराशि का विद्युत बिल निर्गत किया गया जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योकिं परिवादी के अनुसार यह बिल पूर्व बिलों की तुलना में अत्याधिक राशि का है।

मंच का मत है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी एवं एकाएक बिल चक्र 06/2025 में 1 किलोवाट संयोजन पर 5616 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है, जो कि माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उल्लघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं करता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह जून 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों 03/2025, 01/2025 एवं 11/2024 की औसत खपत क्रमशः (272+300+357/3=309.66) अर्थात् 310 यूनिट पर सशोधित होने योग्य है।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह जून 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों 03/2025, 01/2025 एवं 11/2024 की औसत खपत क्रमशः (272+300+357/3=309.66) अर्थात् 310 यूनिट पर सशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। सहायक अभियन्ता (राजस्व) की आख्या पत्रांक संख्या 6582 दिनांक 29.11.2025 के साथ संलग्न एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि मीटर रीडर की लापरवाही/मिलीभगत होने के कारण परिवादी को कम रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे थें, जिस कारण मीटर में यूनिट जमा हो गई जो की पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदले जाने के समय उजागर हुई। परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानि हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

provisional billing एवं accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

22/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/12/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 82 / 2025

श्रीमती अनामिका पत्नी स्व0 पुष्कर सिंह
निवासी– गढ़वाली बस्ती, भाऊवाला, रामपुर
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री रजनीश माथुर
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 09.12.2025
न्यायिक सदस्य
तकनीकी सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"श्रीमती अनामिका पत्नी स्व0 श्री पुष्कर सिंह, निवासी–गढ़वाली बस्ती, भाऊवाला, रामपुर, देहरादून द्वारा दिनांक 14.10.2025 को ऑनलाईन माध्यम से नये घरेलू विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, जिसका संदर्भ संख्या 111410250558 है (आवेदन की प्रति संलग्न है)। प्रार्थीनी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के क्रम में सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं, इसके बावजूद संबंधित विद्युत विभाग द्वारा आतिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही प्रार्थीनी को किसी प्रकार की सूचना प्रदान की गई है। इस संबंध में जब विद्युत*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

वितरण उपखंड, सेलाकुई कार्यालय से संपर्क किया गया तो वहाँ से बताया गया कि "एक ही परिसर में दो विद्युत संयोजनों का प्रावधान नहीं है"। महोदय इस विषय में माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत दिशा– निर्देशो मे स्पष्ट उल्लेख है कि "There shall not be more than one connection in the name of an applicant/consumer under the same category within the same premises". " एक ही परिसर के भीतर एक ही श्रेणी के अन्तर्गत आवेदक/उपभोक्ता के नाम पर एक से अधिक संयोजन नहीं होंगे।" अतः यह प्रावधान केवल एक ही आवेदक/उपभोक्ता के नाम पर एक से अधिक संयोजन पर प्रतिबंधित है न कि अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा किए गए वैध आवेदनों पर। महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि जिस संपत्ति मे नया विद्युत संयोजन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, वह संपत्ति प्रार्थीनी की सासू माँ श्रीमती गुड्डी देवी के नाम पर दर्ज है। नये विद्युत संयोजन हेतु श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी प्रदान किया गया है, जिसकी प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त परिसर में पूर्व से स्थापित घरेलू विद्युत संयोजन (खाता संख्या 40102940948) से संबंधित वर्तमान तक सभी विद्युत बीजक जमा किये गये है व कोई किसी प्रकार का विद्युत बीजक बकाया शेष नही है। अतः आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त तथ्यों एवं प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार करते हुए यथाशीघ्र नये घरेलू विद्युत संयोजन निर्गत हेतु सम्बन्धित को आदेश देने की कृपा की जाए।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1508 दिनांकित 21/11/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि "उपभोक्ता के परिसर में पूर्व से ही भूमि स्वामित्व के नाम से विद्युत संयोजन विद्यमान है

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

*एवं माननीय विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार एक परिसर में एक ही विद्या की दो विद्युत संयोजन निर्गत नही दिया जा सकता है"।*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या का मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता के परिसर में पूर्व से ही भूमि स्वामित्व के नाम से विद्युत संयोजन विद्यमान है एव माननीय विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार एक परिसर में एक ही विद्या की दो विद्युत संयोजन निर्गत नहीं दिया जा सकता है।"* के कथन से मंच सहमत नहीं है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय् **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.1 (13)** में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

**3.1(13) "There Shall not be more than one connection in the name of an applicant/consumer under the same categaory within the same premises".** उपरोक्त विनिमय से स्पष्ट है कि एक ही परिसर में एक ही श्रेणी के एक से अधिक संयोजन एक उपभोक्ता के नाम से निर्गत नहीं किये जा सकते। संधर्भित मामले में उक्त परिसर पर श्रीमती गुड्डी देवी के नाम से घरेलू श्रेणी में संयोजन अवमुक्त है एवं परिवादी श्रीमती अनामिका पत्नी स्व पुस्कर सिंह के द्वारा एक अन्य घरेलू संयोजन हेतु

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

आवेदन किया गया है, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन स्वामी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा प्रदान किया गया है। इस परिस्थिति में माननीय् UERC के उपरोक्त विनियम के आलोक में परिवादी श्रीमती अनामिका पत्नी स्व0 पुस्कर सिंह द्वारा चाहे गये उक्त परिसर में नया घरेलू श्रेणी का विद्युत संयोजन निर्गत किया जा सकता है। अतः संधर्भित मामले में परिवादी उक्त परिसर में विद्युत संयोजन प्राप्त करने का अधिकारी है।

विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमो का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को उनके नाम से नियामानुसार आवेदन करने पर विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर उन्हे विद्युत संयोजन अविलंब अवमुक्त करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंतर्गत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

9-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

09/12/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 09/12
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.W.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
व0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 92 / 2025

श्रीमती सरूली देवी पत्नी श्री पान सिंह
निवासी–काराबरी ग्रांट, निकट मानक
सिद्ध मंदिर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 22.12.2025
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाने के उपरांत क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि दिनांक 06 नवम्बर 2025 समय 02 बजकर 30 मिनट दोपहर को हमारे क्षेत्र में अचानक वोल्टेज अत्यधिक बढ जाने के कारण मेरे घर के कई विद्युत उपकरण जैसे चिमनी, इंडक्शन, इलैक्ट्रिक केतली इत्यादि जल गए/ शॉर्ट हो गए। उक्त घटना पूरी तरह से बिजली विभाग की आपूर्ति लाइन में आई वोल्टेज की गडबडी के कारण हुई है। इस कारण मुझे आर्थिक नुकसान उठाना पडा है। अतः आपसे अनुरोध है कि विभागीय नियमों के अनुसार मेरा नुकसान का आकलन कर, उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने कि कृपा करें। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटना पुनः न हो, इसके लिए वोल्टेज स्थिरीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने कि कृपा करें। महोदय मैं*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrlgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
व0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrlgz@gmail.co

*उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत प्रस्तुत करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु मेरे पुत्र शिशुपाल सिंह को प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने की सहमति प्रदान करती हूँ।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक शून्य दिनांकित 08/12/2025 से मंच को अवगत कराया है *"कि दिनांक 06.11.2025 को संयोजन संख्या MP2142620657I नामें श्रीमती कौशल्या देवी की इनकमिंग केबिल शॉर्ट होकर न्यूट्रल से टच हो रही थी, जिस कारण हाई वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हुयी थी, जिस कारण उपभोक्ता श्रीमती सरूली देवी के इलैक्ट्रीक किचन चिमनी, इंडक्शन, इलेक्ट्रीक केतली एवं आर०ओ० खराब हुए थे। जिसको लाइन मैन श्री मनोज द्वारा दिनांक 06.11.2025 को बडोवाला फीडर का शटडाउन लेकर शॉर्ट केबिल को न्यूटल से हटाकर शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।"*

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Standard of Performance Regulations), 2022** के विनियम **6** का संज्ञान लिया गया, जिससे स्पष्ट है कि इस प्रकरण में परिवादी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के कार्य निष्पादन के मानक विनियम् 2022 के SCHEDULE –III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) के बिन्दु 3 Quality of Power Supply (for voltage variations) के तहत् क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के क्षतिग्रस्त उपकरणों यथा इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक केतली एवं आर0ओ0 आदि की मरम्मत के ऐवज में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के कार्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
व0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 248(
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

निष्पादन के मानक विनियम् 2022 के SCHEDULE –III (Guaranteed Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default) के बिन्दु 3 Quality of Power Supply (for voltage variations) के तहत् क्षतिपूर्ति प्रदान करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22-12-2025
(श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

22/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/12/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrlgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrlgz@gmail.co

## परिवाद सं0 93 / 2025

श्री संदीप सिंह पुत्र श्री भाव सिंह
निवासी–लाईन जीवनगढ,
पो०ओ० आम्बाडी, डाकपत्थर
विकासनगर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 20.12.2025
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

## निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी का माह अगस्त 2025 का बिल घरेलू कनेक्शन में यूनिट 7981 दर्ज है। जो कि गलत एवं अव्यवहारिक है, जिस करण प्रार्थी पर गलत बिल प्रस्तुत किया गया है, महोदय से अनुरोध है कि माह अगस्त 2025 को पुनः संशोधित करने हेतु प्रार्थना करता है। आपकी अति कृपा होगी।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 6583, दिनांकित 29 / 11 / 2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है कि:–

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 04 KW में 05 फरवरी 2019 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं० VN13110411451 है।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 08.08.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।*
3. *जिस पर पुराने मीटर ( U481051) की रीडिंग 35063 ( 7693 शेष यूनिट ) पायी गयी।*
4. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

*अतः वाद निरस्त करने योग्य है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 6741, दिनांकित 06.12.2025 से मंच को अवगत कराया है *"कि मा० फोरम के समक्ष दर्ज शिकायत सं० 93/2025 श्री संदीप कुमार पुत्र श्री भाव सिंह, निवासी– लाईन जीवनगढ़, पो०ओ०– अम्बाडी, डाकपत्थर विकासनगर देहरादून की MRI रिपोर्ट मा० मंच के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर 08.08.2025 को बदल दिया गया एव् बिल चक्र 08/2025 में कुल 7981 यूनिट (7693 यूनिट पुराने मीटर + 288 यूनिट नये मीटर) का विद्युत बिल प्रेषित किया गया, यानी दिनांक 17.07.2025 से 08.08.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात 23 दिनों की अवधि में परिवादी द्वारा 7693 यूनिट का विद्युत उपभोग किया गया। जो कि 335 यूनिट प्रति दिन की खपत दर्शाता है। कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा इतनी अधिक विद्युत खपत पूर्व में कभी नहीं की गई है।

माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

मंच का मत है कि माननीय् UERC के उपरोक्त विनियम के आलोक में माह अगस्त 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों 07/2025, 06/2025 एवं 05/2025 की औसत खपत 573.66 यूनिट अर्थात् 574 यूनिट (700+490+531/3=573.66 यूनिट) पर संशोधित होने योग्य है।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह अगस्त 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों 07/2025, 06/2025 एवं 05/2025 की औसत खपत 573.66 यूनिट अर्थात् 574 यूनिट (700+490+531/3=573.66 यूनिट) पर सशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। सहायक अभियन्ता (राजस्व) की आख्या पत्रांक संख्या 6741 दिनांक 06.12.2025 के साथ संलग्न एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि मीटर रीडर की लापरवाही/मिलीभगत होने के कारण परिवादी को कम रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे थें, जिस कारण मीटर में यूनिट जमा हो गई जो की पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदले जाने के समय उजागर हुई। परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि provisional billing एवं accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-12-2025
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

20/12/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 20/12/25
तकनीकी सदस्य